उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 26/2026/199/तीस-3-2026
लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2026

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापन विषयक अधिसूचना संख्या 26/2026/199/तीस-3-2026, दिनांक 30 जनवरी, 2026 संबंधी अधिसूचना (अंग्रेजी रुपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।

2- सचिव, उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

3- कार्मिक अनुभाग-**1/2**, उ०प्र० शासन ।

4- कार्मिक नियमावली सेल, उ०प्र० शासन।

5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।

6-संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय. ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को दिनांक **30** जनवरी, **2026** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-**4** खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की **100** प्रतियां परिवहन अनुभाग-**3**, कक्ष, तृतीय तल, संख्या-**323**, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. गार्ड फाइल।

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 26/2026/199/तीस-3-2026
लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम-2 का प्रतिस्थापन	2- उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सेवा की प्रास्थिति	2. उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा में समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।	2. उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा में समूह "ख" के अराजपत्रित एवं समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
नियम-3 का संशोधन	3. उक्त नियमावली में, नियम-3 में, नीचे स्तंभ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (ग) के स्थान पर स्तंभ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
परिभाषा	**स्तम्भ-1** **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	(ग) 'आयोग' का अर्थ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।	मोटर यान निरीक्षक के पद के लिए 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है, एवं सहायक मोटर यान निरीक्षक के पद के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;
नियम-4 का प्रतिस्थापन	4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सेवा की सदस्य संख्या	4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा अवधारित की जाय।	4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>4. (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगीः-

<table><tr><th>पद का नाम</th><th>पदों की संख्या</th></tr><tr><td>मोटरयान निरीक्षक</td><td>124</td></tr></table>
परन्तु यह कि,
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसे वह उचित समझें।</td><td>4. (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगीः-

<table><tr><th>पद का नाम</th><th>पदों की संख्या</th></tr><tr><td>मोटरयान निरीक्षक</td><td>124</td></tr><tr><td>सहायक मोटरयान निरीक्षक</td><td>351</td></tr></table>
परन्तु यह कि,
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसे वह उचित समझें।</td></tr>
<tr><td>नियम-5 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>भर्ती का स्रोत</td><td>5. सेवा में मोटर यान निरीक्षक के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।</td><td>5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-
<table><tr><td>1-मोटरयान निरीक्षक</td><td>(एक) पचास प्रतिशत मैलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी सहायक मोटर यान निरीक्षक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत उत्त्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</td></tr><tr><td>2-सहायक मोटरयान निरीक्षक</td><td>उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>नियम-8 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">6- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>शैक्षिक अर्हता</td><td>8. सेवा में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी</td><td>8. सेवा में विभिन्न पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:-</td></tr>
</table>

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	आवश्यक हैं:- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया, **और** (2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, **या** (दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, **या** (तीन) उपर्युक्त में से किसी भी शाखा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता, **और** (3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त हल्की मोटरगाड़ियों, भारी माल गाडियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों दोनों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव, **और** (4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है, जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो। (5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिये।	**पद का नाम**	**अर्हता**
		1- **मोटरयान निरीक्षक**	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो; **और** (2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, **या** (दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, **या** (तीन) उपर्युक्त में से किसी भी शाखा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता; **और** (3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त दोनों हल्की मोटर यानों एवं भारी माल यानों तथा भारी यात्री मोटर यानों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव; **और** (4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है, जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल यानों और भारी यात्री मोटर यानों को चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो। (5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है।
		2- सहायक मोटर यान निरीक्षक	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है; **और** (2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, **या** (दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, **या** (तीन) उपर्युक्त में से किसी विधा/शाखाओं में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता; **और**

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त दोनों हल्की मोटर यानों एवं भारी माल यानों तथा भारी यात्री मोटर यानों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव; **और** (4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है, जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल यानों और भारी यात्री मोटर यानों को चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो। (5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है।
नियम-13 के परन्तुक का प्रत्यावर्तन	7. उक्त नियमावली में, नियम 13 का परन्तुक, जिसे चतुर्थ संशोधन, 2014 द्वारा हटा दिया गया था, निम्नानुसार प्रत्यावर्तन किया जाएगा-		
	परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए किसी अभ्यर्थी से चिकित्सीय स्वस्थता का प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।		
नये नियम 15(क) का बढ़ाया जाना	8. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 15(क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात		
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15(क) सेवा में सहायक मोटर यान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।		
नियम-16 एवं-17 का प्रत्यावर्तन	9. उक्त नियमावली में, नियम-16 एवं 17, जिसे चतुर्थ संशोधन, 2014 द्वारा हटा दिया गया था निम्नानुसार पुनः स्थापित किये जायेंगे-		
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16. पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार, अयोग्य को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।		
संयुक्त चयन सूची	17. यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियम 15 और नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची से अभ्यर्थियों के नामों को बारी-बारी से लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, प्रथम नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।		
नियम-18 का संशोधन	10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18 के स्थान पर, स्तंभ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात		
नियुक्ति	**स्तम्भ-1** **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
	18(1) नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा।	18(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 15,15(क), 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा।	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो चयन में निर्धारित वरिष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा।</td><td>(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।
(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा, यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।</td></tr>
<tr><td>नियम-22 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">11- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान नियम-22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>वेतनमान</td><td>22 (1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत दिये गये है:-
<table>
<tr><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="2">वेतनमान</th></tr>
<tr><th>वेतन में मैट्रिक्स लेवल</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>मोटरयान निरीक्षक</td><td>लेवल-7</td><td>रू॰ 44900-1,42,400</td></tr>
</table></td><td>22 (1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं:-
<table>
<tr><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="2">वेतनमान</th></tr>
<tr><th>वेतन मैट्रिक्स लेवल</th><th>तत्समान वेतन</th></tr>
<tr><td>मोटरयान निरीक्षक</td><td>लेवल-7</td><td>रू॰ 44900-1,42,400</td></tr>
<tr><td>सहायक मोटरयान निरीक्षक</td><td>लेवल-6</td><td>रू॰ 35,400-1,12,400</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no 26/2026/199/XXX-3-2026 dated 30 January, 2026

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TRANSPORT SECTION-3
Notification

Miscellaneous
No 26/2026/199/xxx-3-2026
Lucknow : Date 30 January,2026

In excercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules, 1980:

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT (SUBORDINATE) TECHNICAL SERVICE (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement	**1.** (1) These rules may be called the **Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service (Sixth Amendment) Rules, 2026** (2) They shall come into force at once.	
Substitution of Rule 2	**2.** In the **Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules, 1980**, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule-2 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-	
Status of Service	**Column-1** **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
	2. The Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service comprising Group 'B' posts.	2. The Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service is a service comprising Group 'B' non-gazetted and Group 'C' posts.
Ammendment of rule-3	**3.** In the said rules, in rule-3 for existing subrule (c) set out in column-1 below, the subrule as set out in column-2 shall be substituted, namely	
Definition	**Column-1** **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
	(c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;	(c) 'Commission' means for the post of Motor Vehicle Inspector is Uttar Pradesh Public Service Commission and for the post of Assistant Motor Vehicle Inspector is Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;
Substitution of Rule 4	**4.** In the said rules, for existing rule-4 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-	
Strength of the service	**Column-1** **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
	4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule	4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>(1), be as given below :

<table><tr><th>Name of post</th><th>Number of posts</th></tr><tr><td>Motor Vehicle Inspector</td><td>124</td></tr></table>
Provided that:-
(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant thereby post, without entitling any person to compensation, or
(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.</td><td>(1), be as given below :

<table><tr><th>Name of post</th><th>Number of posts</th></tr><tr><td>Motor Vehicle Inspector</td><td>124</td></tr><tr><td>Assistant Motor Vehicle Inspector</td><td>351</td></tr></table>
Provided that:-
(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation, or
(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.</td></tr>
<tr><td>Substitution of Rule 5</td><td colspan="2">5. In the said rules, for existing rule-5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column-1
Existing rule</td><td>Column-2
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Source of Recruitment</td><td>5. Recruitment to the post of Motor Vehicle Inspector in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.</td><td>5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-
<table><tr><td>1.Motor Vehicle Inspector</td><td>Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Assistant Motor Vehicle Inspectors who have completed five years of service as such on the first day of recruitment year.

Fifty percent by direct recruitment through the Uttar Pradesh Public Service Commission.</td></tr><tr><td>2.Assistant Motor Vehicle Inspector</td><td>By direct recruitment through the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Substitution of Rule 8</td><td colspan="2">6. In the said rules, for existing rule-8 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column-1
Existing rule</td><td>Column-2
Rule as hereby substituted</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Academic Qualification</td>
<td rowspan="2">8. A candidate for direct recruitment to the post of Motor Vehicle Inspector in the service must possess the following qualifications:

(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government equivalent as thereto; and

(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or

(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or

(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and

(3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and

(4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles.

(5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.</td>
<td colspan="2">8. A candidate for direct recruitment to the various post in the service must possess the following qualifications:</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of the Post</td>
<td>Qualification</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Motor Vehicle Inspector</td>
<td>(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government equivalent as thereto; and

(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or

(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or
(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and
(3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and
(4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles.
(5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Assistant Motor Vehicle Inspector</td>
<td>(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government equivalent as thereto; and
(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or</td>
</tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) **or** (iii) Any qualification in either of the above disciplines/ branches declared equivalent, by the Central Government or State Government; **and** (3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; **and** (4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles. (5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari.
Restoration of the proviso of rule 13	**7**. In the said rules, the proviso of rule 13 which was ommitted by fourth amendment 2014, shall be restore as follows:-		
	Provided that a Medical certificate of fitness shall not by required from a candidate recruited by promotion.		
Insertion of new rule 15(A)	**8.** In the said rules, after existing rule-15, the following rule 15(A) shall be inserted, namely		
Process of direct recruitment through Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission	15(A). Direct recruitment to the post of Assistant Motor Vehicle Inspector is the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.		
Restoration of rule 16 and 17	**9**. In the said rules, the the rule-16 and 17 which were ommitted by fourth amendment 2014, shall be restore as follows:-		
Procedure for recruitment by promotion	16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejectin of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time		
Combined Select list	17. If appointment has to be made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates alternatively from the list preapared under rule 15 and rule 16, the first name being from the list prepared under rule 16		
Amentment of rule 18	**10.** In the said rules, for existing rule-18 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namesly		
Appointment	**Column-1** **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**	
	18(1)The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in	18(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of	

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td>the list prepared under rule 15

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.</td><td>candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 15 (A), 16 or 17 as the case may be.
(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.
(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, the names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 17</td></tr>
<tr><td>Substitution of Rule 22</td><td colspan="2">11. In the said rules, for existing rule-22 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column-1
Existing rule</td><td>Column-2
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows:

<table>
<tr><th rowspan="2">Name of post</th><th colspan="2">Scale of Pay</th></tr>
<tr><th>Corresponding Pay band (Rs.)</th><th>Corresponding Grade pay</th></tr>
<tr><td>Motor Vehicle Inspector</td><td>Level-7</td><td>44900-1,42,400</td></tr>
</table></td><td>22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows:

<table>
<tr><th rowspan="2">Name of post</th><th colspan="2">Scale of Pay</th></tr>
<tr><th>Pay matrix Level</th><th>Corresponding pay</th></tr>
<tr><td>Motor Vehicle Inspector</td><td>Level-7</td><td>44900-1,42,400</td></tr>
<tr><td>Assistant Motor Vehicle Inspector</td><td>Level-6</td><td>35,400-1,12,400</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

By order,

Archana Agrawal
Additional Chief Secretary

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।